

पंचायत का गठन

↳ अनु० ५०

⇓

भाग-४

पंचायती राज व्यवस्था

भाग-९

अनु०-२५३ ✓

↳ पंचायत का चलन ऋग्वेद काल से है।

↳ लॉर्ड रिपन (1880-1884) ने 1882 में नगरिय और ग्रामिण पंचायती राज व्यवस्था को प्रावधान किया।

↳ इस प्रावधान को पंचायती राज का पैगना कार्टा कहते हैं।

↳ पंचायती राज व्यवस्था का जनक लॉर्ड रिपन है।

↳ भारत में आम जन सहभागिता तथा ग्रामिण स्तर पर राजनैतिक

भागीदारी के लिए महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की।



↳ संविधान सभा में गांधी विचारधारा के श्री मन्त्र नारायण अग्रवाल जी ने पंचायती राज पर बल दिया।

↳ पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य, लोकतांत्रिक विकेंद्रित करण व आम जन सहभागिता की राजनैतिक भागीदारी था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

- ↳ यह 1952 में पंचायती व्यवस्था का संचालन करने के लिए।
- ↳ इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री Pt J. L. नेहरू ने 20 Oct 1952 को अमेरिका के आधार पर लागू किया।
- ↳ इसका संचालन "Ford Foundation" के द्वारा आरम्भ किया गया।
- ↳ यह कार्यक्रम जनता के भागीदारी के अभाव में विफल रहा।

↳ सामूहिक विकास कार्यक्रम में सुधार के लिए योजना आयोग के द्वारा B.R. मेहता समिति का गठन, 1957 में किया गया।

यह पंचायती राज व्यवस्था के संरचनाकार है।

→ वलवन्त राय मेहता समिति, 1957

↳ पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर में विभाजित कर दिया जाय।

संरचना

निम्न स्तर - ग्राम सभा - प्रधान / मुखिया

मध्यवर्ती स्तर → ब्लॉक / प्रखण्ड - ब्लॉक प्रमुख

जिला पंचायत → जिला स्तर → जिला अध्यक्ष

Note :- मध्यवर्ती स्तर उन्हीं राज्यों में होगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी।

↳ 2 Oct. 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम (बगदर) नागौर राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री P. नेहरू के द्वारा लागू किया गया।

↳ इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य अन्धप्रदेश का "महबुब" जिला है। - 11 Oct. 1959.

अशोक मेहता समिति, 1977.

↳ पंचायती राज व्यवस्था - द्वि-स्तरीय होगा।

① ग्राम मण्डल — 5 गाँव से 20 गाँव का समूह.

② जिला मण्डल — जिला परिषद.

↳ पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

↳ पंचायत में राजनैतिक दल की भागीदारी हो।

↳ इसकी सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने अस्वीकार कर दिया।